निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प झनझनी द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रकरण संख्याः– 95/2017
दायरा दिनांकः– 01.05.2017
निर्णय दिनांक :– 01.06.2017

उनवान

फूलचन्द पुत्र उदा जाति लोधा निवासी झनझनी तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

1. पानाचन्द पुत्र रामगोपाल जाति लोधा
2. हरिराम पुत्र रामगोपाल जाति लोधा
3. रणजीत पुत्र रामगोपाल जाति लोधा
4. संदीप पुत्र पानाचन्द जाति लोधा
5. रोहित पुत्र पानाचन्द जाति लोधा
6. टीकम पुत्र पानाचन्द जाति लोधा
7. भंवरीबाई पत्नि रामगोपाल जाति लोधा
8. पिंकीबाई पत्नि हरिराम जाति लोधा
9. सुगनबाई पत्नि रणजीत जाति लोधा निवासी झनझनी तहसील छीपाबडौद जिला बारां
10. फूलाबाई पत्नि पानाचन्द जाति लोधा निवासी झनझनी तहसील छीपाबडौद जिला बारां

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 01.06..2017

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री जगदीश सिंह वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम झनझनी तहसील छीपाबडौद जिला बारा मे स्थित सयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 171 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा, स्थित है जिसमें वादी हिस्सा 1/4 का खातेदार है। वादी अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी पर हमेशा से काश्त करता चला आ रहा हैं, तथा आज भी वादी ही काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी गण संगठित बडे परिवार के व्यक्ति है जो ताकत के बल पर वादी का उक्त आराजी में शान्तिपूर्ण तरीके से काश्त नहीं करने दे रहे है जथा वादी के हिस्से की आराजी में जबरन रास्ता कायम करना चाह रहे है तथा जमीन को हडपना चाहते है। वादी परिवार में अकेला व्यक्ति है जिसे प्रतिवादी गण मन गढन्त आक्षेप लगा कर बलात्कार जैसे प्रकरण में उलझाना चाहते है तथा रोज आये दिन थाने मे झूठी रिपोर्ट कर फसाना चाहते है एवं वादी के कार्यवाही करने छीपाबडौद आने के लिए जान से मारने के लिए नाकाबन्दी करते है। वाद कारण दिनांक 28.04.2017 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी गण वादी के हिस्से की आराजी में

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

जबरन रास्ता कायम करना चाह रहे थे तथा वादी के मना करने पर जान से मारने को बामादा हुए व कहा कि हम इस तमीन को छुडाकर ही रहेगें। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम झनझनी संवत 2070–73 खाता संख्या 112 पेश की गई। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प झनझनी पर उपस्थित हुए। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा केम्प में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि पानाचन्द को अपने मकान पर जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। फूलचन्द वादी ने अपने बाडे में होकर 5 फीट का रास्ता देने हेतु दोनो में सहमति बनी की फूलचन्द दोनों तरफ टाटा लगायेगा तथा पानाचन्द बिना नुकसान किये बाडे में होकर निकलेगा। मुताविक राजीनामा वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायौचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प झनझनी पर स्वीकार किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी गण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम झनझनी की आराजी खसरा नंबर 171 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा, में वादी फूलचन्द अपने हिस्से के बाडे में होकर 5 फीट का रास्ता निकलने हेतु प्रतिवादी गण को देगा तथा फूलचन्द रास्ते के दोनों तरफ टाटा लगायेगा तथा पानाचन्द बिना नुकसान किये बाडे में होकर निकलेगा। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 95/2017	धारा अन्तर्गत 188, RTA	निर्णय दिनांक : 01.06.2017
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:– श्री जगदीशसिंह		अभिभाषक प्रतिवादी:–

वाद शीर्षक
उनवान

फूलचन्द पुत्र उदा जाति लोधा निवासी झनझनी तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

1. पानाचन्द पुत्र रामगोपाल जाति लोधा
2. हरिराम पुत्र रामगोपाल जाति लोधा
3. रणजीत पुत्र रामगोपाल जाति लोधा
4. संदीप पुत्र पानाचन्द जाति लोधा
5. रोहित पुत्र पानाचन्द जाति लोधा
6. टीकम पुत्र पानाचन्द जाति लोधा
7. भंवरीबाई पत्नि रामगोपाल जाति लोधा
8. पिंकीबाई पत्नि हरिराम जाति लोधा
9. सुगनबाई पत्नि रणजीत जाति लोधा निवासी झनझनी तहसील छीपाबडौद जिला बारां
10. फूलाबाई पत्नि पानाचन्द जाति लोधा निवासी झनझनी तहसील छीपाबडौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प झनझनी पर स्वीकार किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी गण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम झनझनी की आराजी खसरा नंबर 171 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा, में वादी फूलचन्द अपने हिस्से के बाडे में होकर 5 फीट का रास्ता निकलने हेतु प्रतिवादी गण को देगा तथा फूलचन्द रास्ते के दोनो तरफ टाटा लगायेगा तथा पानाचन्द बिना नुकसान किये बाडे में होकर निकलेगा।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 01.06.2017 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

फूलचंद

Scanned by CamScanner